बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0– 3/अ0प्र0–01–127/2022 531 /पटना, दिनांकः– 17.9.25

बेगूसराय जिलान्तर्गत साहेबपुर कमाल प्रखंड में कार्य प्रमंडल, बलिया के अधीन नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजनान्तर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर आहो कृति टोला चौकी एवं विष्णुपुर आहोक के बीच निर्मित 8 X 24.75 मी0 आकार के उच्च स्तरीय पुल के पियर P1 एवं P2 के बीच का डेक स्लैब टूट कर नदी में गिर जाने की घटना की जाँच अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की गयी। अभियंता प्रमुख के पत्रांक– 2950 अनु0 दिनांक–20.12.2022 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आलोच्य पुल के पीयर P1 तथा P2 के बीच के Super Structure का स्पैन तीनों मेन गर्डर के बीचों बीच टूट जाने के कारण क्षतिग्रस्त होकर नदी में गिरा हुआ पाया गया। जाँच प्रतिवेदन में पियर P1 एवं P2 के बीच का स्पैन अपने Self load के कारण ही क्षतिग्रस्त हुआ, जो कार्य के खराब गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। इसके लिए श्री सतीश रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति सेवानिवृत को जिम्मेवार माना गया।

2. जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक–2214 अनु0 दिनांक–23.12.2022 द्वारा श्री रजक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के कारण का0आ0सं0–62–सह–पठित ज्ञापांक 2259 दिनांक 27.12.2022 द्वारा श्री रजक को निलंबित किया गया। साथ ही इनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर गठित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय का0आ0सं0–12 सह–पठित–ज्ञापांक 133 अनु0 दिनांक 12.01.2023 द्वारा मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसी बीच विभागीय का0आ0सं0–35, सहपठित ज्ञापांक 2310 दिनांक 20.08.2024 द्वारा श्री रजक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत रखते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

3. मुख्य अभियंता–3–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री रजक के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को अप्रमाणित माने जाने का मंतव्य दिया गया। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा अपने Risk एवं Cost पर क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निमाण कराया गया है, अतः वित्तीय क्षति नहीं माना जा सकता है।

4. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री रजक को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव श्री सतीश रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Skumar
16/9/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–127/2022 9999 /पटना, दिनांकः– 17.9.25

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Skumar
16/9/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 9999 /पटना, दिनांकः– 17.9.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगुसराय/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री सतीश रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति सेवानिवृत (मोबाईल नं0–7004232029, ई–मेल–ersatishrajak@gmail.com)/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Skumar
16/9/25
अवर सचिव